



2026:AHC:6688

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19361 वर्ष 2025

बृजेश कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

सुरेश कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्य और राज्य प्रतिवादी गणों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और 28.11.2025 को दण्ड देने के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील की गई है।
3. उक्त विधिक स्थिति पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है और यदि ऐसी अपील 22.01.2026 तक वरीयता दी जाती है, तो देरी का सवाल लागू नहीं होगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की दिनांक से दो माह के भीतर प्रत्यावेदन का निर्णय किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह बताने की जरूरत नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिवादी गणों से कोई जवाब मांगे बिना निर्णय कर लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में चला गया है।
6. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।